

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत रीठाखाल-दुधारखाल मोटर मार्ग से ग्राम तलगल तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम तलगल
तहसील- सतपुली, जिला-पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत रीठाखाल-दुधारखाल मोटर मार्ग से ग्राम तलगल हेतु लिंक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.360 हे० सिविल सोयम भूमि 0.00 हे०, वन पंचायत भूमि 0.00 हे०) अर्थात् कुल 0.360 हे० वन भूमि का निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पौड़ी विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तलगल द्वारा दिनांक 12/11/2022 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रीठाखाल, दुधारखाल एवं तलगल मोटर मार्ग के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव

[Signature]
JE

[Signature]
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पौड़ी गढ़वाल

[Signature]
अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
पौड़ी गढ़वाल



प्रपत्र-23.1

दिनांक 12/1/2022 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत तलगल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	शेखाराम	शेखाराम
	श्री मोहन चन्द	श्री मोहन
	विनीता देवी	विनीता देवी
	लालजी देवी	लालजी देवी
	लक्ष्मण सिंह	लक्ष्मण
	हरि सिंह	हरि सिंह
	दिनेश चन्द	दिनेश चन्द
	विनीत कुमार	विनीत कुमार
	केदारनाथ	केदारनाथ
	काशी चन्द	काशी चन्द
	आनन्द देवी	
	महीपाल सिंह	महीपाल 14
	मनुरा सिंह	मनुरा 14
	चन्द्रा देवी	
	गोपाल देवी	
	चन्द्रा सिंह	चन्द्रा 14
	जगदीश देवी	



प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत रीठाखाल-दुधारखाल मोटर मार्ग से ग्राम तलगल तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ~~चौदाखाल~~ अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पोखड़ा

उपखण्ड पोखड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत सतपुली (0.000 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.360 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.000 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.360 हे० वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचितजनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील सतपुली) की दिनांक 19/11/2022 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री _____, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री ~~सुदीप कुमार~~ उपजिलाधिकारी ~~चौदाखाल~~ अध्यक्ष
 - 2- श्री ~~राजेश कुमार रावत~~ उप प्रभागीय वनाधिकारी ~~चौदाखाल~~ सदस्य
 - 3- श्री ~~अनिल राजा~~ सहायक समाज कल्याण अधिकारी ~~चौदाखाल~~ सदस्य
 - 4- श्री ~~राजेश नैयानी~~ बी०डी०सी० क्षेत्र ~~पोखड़ा~~ सदस्य
- उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि _____ क्षेत्र पंचायत सदस्य _____ परिषद के तहत 0.360 हे० वन

भूमि

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, _____ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पोखड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत रीठाखाल-दुधारखाल मोटर मार्ग से ग्राम तलगल परियोजना के निर्माण हेतु 0.360 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- चौखटखाल सतपुली
जनपद पौड़ी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- चौखटखाल सतपुली
जनपद पौड़ी

प्रपत्र-23.3

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत रीठाखाल-दुधारखाल मोटर मार्ग से ग्राम तलगल तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद-पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित रीठाखाल-दुधारखाल से ग्राम तलगल तक लिंक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.360 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति सतपुली तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।


 जिलाधिकारी
 गढ़वाल
 ह०/-
 जिलाधिकारी

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत रीठाखाल-दुधारखाल मोटर मार्ग से ग्राम तलगल तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत प्रस्तावित रीठाखाल-दुधारखाल से ग्राम तलगल तक लिंक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.360 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा रेखाकार (सपदमंत) प्रयोजनों यथा-सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।


जिलाधिकारी
गढ़वाल

ह०/-
जिलाधिकारी